


IS 15700:2005

सर्वोत्तम प्रमाणित  
पत्र सं०-

सेवा में,

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक-अवध विहार योजना

पंचम तल, आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-9,

वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025

website: www.upavp.in e-mail: avadhviharlko@upavp.com

/सं०प्र०अवध विहार योजना/मांग-पत्र/नन्दिनी एन्क्लेव फ्लैट सं०-

दिनांक-

/

पंजीकृत डाक द्वारा

भारतीय मानक ब्यूरो

ISO 15700



Bureau of Indian Standards



SQMS

"संशोधित"

SRI/SMT/KM :

S/O/D/O/W/O :

ADD :

DISTT :

PINCOD :

## मांग-पत्र

विषय:- परिषद की अवध विहार योजना (सुल्तानपुर रोड़) शहीद पथ, लखनऊ के सेक्टर-03, नन्दिनी एन्क्लेव में एफ-64 प्रकार के फ्लैट संख्या-..... के मांग-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक पंजीकरण/चालान संख्या-..... द्वारा परिषद की अवध विहार योजना, सेक्टर-03 लखनऊ में निर्माणाधीन नन्दिनी एन्क्लेव में ..... प्रकार के फ्लैट हेतु दिनांक-..... को सम्पन्न पात्रता चयन लाट्री ड्रा में फ्लैट हेतु चयनित होने के उपरान्त दिनांक-..... को सम्पन्न नम्बरिंग लाट्री ड्रा में आपको फ्लैट संख्या- का आवंटन/चयन हुआ है। फ्लैट का सुपर एरिया ..... वर्गमी०, निर्मित क्षेत्रफल ..... वर्गमी० एवं अनुमानित मूल्य रू० ..... लाख है जिसमें से जमा पंजीकरण धनराशि रू० ..... लाख का समायोजनोपरान्त शेष धनराशि रू० ..... लाख का भुगतान निम्नानुसार परिषद खाते में जमा कराया जाना है:-

क्र० सं०	किश्त संख्या	अन्तिम देय तिथि	देय धनराशि
1	पंजीकरण राशि पर देय सेवाकर	-	-
	प्रथम एकमुश्त देय धनराशि	निर्गत मांग-पत्र की तिथि से 30 दिनों के अन्दर	रू. ....
2	प्रथम त्रैमासिक किश्त	दिनांक-..... से .....	रू. ....
3	द्वितीय त्रैमासिक किश्त	दिनांक-..... से .....	रू. ....
4	तृतीय त्रैमासिक किश्त	दिनांक-..... से .....	रू. ....
5	चतुर्थ त्रैमासिक किश्त	दिनांक-..... से .....	रू. ....
6	पंचम त्रैमासिक किश्त	दिनांक-..... से .....	रू. ....
7	षष्ठम त्रैमासिक किश्त	दिनांक-..... से .....	रू. ....
8	सप्तम त्रैमासिक किश्त	दिनांक-..... से .....	रू. ....
9	अष्टम त्रैमासिक किश्त	दिनांक-..... से .....	रू. ....
10	नवम् त्रैमासिक किश्त	दिनांक-..... से .....	रू. ....

भवदीय,

सम्पत्ति प्रबन्धक

कृते आवास आयुक्त

P.T.O

नियम एवं शर्तें

- (1) पंजीकरण/आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर देय निर्धारित भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- (2) मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम एक मुश्त देय धनराशि का भुगतान 30 दिनों के अन्दर तथा शेष धनराशि 09 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (3) यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिये जो अधिकतम तीन माह होगी, परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित अतिरिक्त ब्याज  $(11.5+2) = 13.5\%$  प्रतिशत देय होगा तथा ब्याज की गणना मासिक की जायेगी।
- (4) यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से तीन माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसका पंजीकरण पुस्तिका के नियम 5.3 के अनुसार स्वतः निरस्त हो जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये बिना ब्याज के की जायेगी। आंशिक/पूर्ण भुगतान के उपरान्त सम्पूर्ण निरस्तीकरण की दशा में सेवाकर का दायित्व आवंटी का होगा। जिसकी वापसी परिषद द्वारा नहीं की जायेगी।
- (5) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क गृह कर/चल कर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- (6) पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार फ्लैट्स पर अतिरिक्त मदों के विरुद्ध देय धनराशि जमा करने की सनद प्रदेशन पत्र (Allotment Letter) द्वारा दी जायेगी।
- (7) "किश्तों की धनराशि जमा करने हेतु परिषद की वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर जाकर 'Generate E-Challan' पर क्लिक कर ई-चालान जनरेट करें। ई-चालान पर लिखे 12 संख्या की यूनिट्स प्रापटी आवंटी को सुरक्षित रखें, ई-चालान के आधार पर एक्सिस बैंक/आन्धा बैंक की किसी भी शाखा में आप धनराशि जमा कर सकेंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अथवा विहार योजना पर संपर्क करेंगे। सेवाकर के विरुद्ध देय धनराशि खाता संख्या-00500200001537 @SCCOIM-BARBOHAZARA बैंक ऑफ बडौदा, स्पीड मोटर्स बिल्डिंग, 3 शाहनजफ रोड, हजरतगंज लखनऊ, जमा करना होगा। उक्त धनराशियों का भुगतान आनलाईन भी किया जा सकता है।
- (8) बैंक में धनराशि जमा करते समय रसीद पर आवेदक का नाम, पता, योजना का नाम, आवेदक फ्लैट नंबर एवं सेक्टर का उल्लेख अवश्य किया जाये तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना आवंटी का उत्तरदायित्व होगा।
- (9) फ्लैट के मूल्य में कमी-वृद्धि हो जाने पर, अन्तिम प्रदेशन पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा।
- (10) किसी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा एवं ऐसे समस्त संशोधन प्रभावी होने पर शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार प्रभावी होगी।
- (11) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से दो माह (60 दिनों) के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (12) बयाना धनराशि का बैंक ड्राफ्ट परिषद खाते में क्रेडिट होने की दशा में ही आवंटन वैध होगा।
- (13) सेवाकर के सम्बन्ध में शासनादेश द्वारा समय-समय पर लागू दरें मान्य होंगी।

शुभकामनाओं सहित।

किश्तों के भुगतान हेतु स्वयं से ई-चालान बनाएं।

website: [www.upavp.com](http://www.upavp.com); E-mail: [info@upavp.com](mailto:info@upavp.com)

office E-mail - [avadhviharlko@upavp.com](mailto:avadhviharlko@upavp.com)/Tollfree No-1800-180-5333